परिशिष्ट–1 'क'

शमन योजना–2020 के अधीन शपथ पत्र समक्ष–उपाध्यक्ष,...............विकास प्राधिकरण

(रू. 100/– के स्टाम्प पेपर पर)

मैं/हम/श्री/श्रीमती...पुत्र/पुत्रगण श्री...
निवासी..शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ:–

1. यह कि शपथी ने शमन योजना, 2020 का विधिवत अध्ययन कर लिया है। शपथी उक्त योजना के नियमों से भली–भाँति अवगत होते हुए आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर रहा है तथा उक्त योजना में उद्धरित उपविधि से शपथी अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।

2. यह कि शपथी ने.............................विकास प्राधिकरण में अपने भवन/भूखण्ड संख्या...............का भवन मानचित्र दिनांक...........................को जमा किया है, जिसमें अशमनीय भाग लाल रंग से दर्शाया गया है, जिसका क्षेत्रफल बेसमेन्ट में ....वर्ग मीटर, भूतल पर.......................वर्ग मीटर तथा अनुवर्ती तलों पर कुल ....वर्ग मीटर है। शमन की स्व–मूल्यांकित कुल धनराशि रू. ...., बैंक ड्राफ्ट संख्या....................दिनांक....................चालान संख्या.....................दिनांक...................../आर.टी.जी.एस. द्वारा प्राधिकरण में जमा कर दी गई है, जिसकी रसीद/यू.टी.आर. संख्या संलग्न है।

3. यह कि अशमनीय भाग शपथी स्वयं हटा लेगा अन्यथा नियत अवधि के पश्चात उसे प्राधिकरण द्वारा हटाया जा सकेगा जिसका हर्जा–खर्चा शपथी पर उचित भार होगा और शपथी द्वारा उक्त खर्चा न देने की स्थिति में प्राधिकरण, उ.प्र. नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–40 के अधीन जिलाधिकारी के माध्यम से राजस्व के बकाये की भाँति वसूल कर लेगा।

4. यह कि प्रश्नगत भूखण्ड पर शपथी का निर्विवादित स्वामित्व है। स्वामित्व के सम्बन्ध में भविष्य में कोई विवाद होने पर उसका दायित्व स्वयं शपथी का होगा।

5. यह कि शपथी के भूखण्ड पर निर्माण वर्ष..................का है, जिसके प्रमाणस्वरूप नगर निगम/नगरपालिका परिषद द्वारा जारी कर निर्धारण/गृहकर से सम्बन्धित स्वप्रमाणित रसीद की प्रति संलग्न है।

6. यह कि शपथी के मानचित्र में दर्षाये गये एवं मौके पर किये गये अवैध निर्माण में प्राधिकरण द्वारा रेण्डम चेकिंग के अन्तर्गत यदि कोई भिन्नता पायी जाती है अथवा अवैध निर्माण का कोई भाग अघोषित पाया जाता है, तो प्रार्थी शमन योजना, 2020 के प्रस्तर–6 में निर्धारित दरों का दो गुना शमन शुल्क प्राधिकरण में जमा करने के लिए वचनबद्ध होगा तथा अषमनीय भाग को नियमानुसार ध्वस्त करने के लिए प्राधिकरण स्वतन्त्र होगा।

7. यह कि उपरोक्त पैरा एक से पांच की विषय–वस्तु शपथी की जानकारी में सत्य है। इसमें कोई भी बात छिपायी नहीं गयी है। ईश्वर मेरी मदद करें।

संलग्नक: (1) शमन शुल्क जमा करने की रसीद/यू.टी.आर. नम्बर।

(2) कर निर्धारण/गृहकर से सम्बन्धित प्रमाणित रसीद की प्रति।

स्थान .... **शपथी,**

दिनांक ....

नाम...

पुत्र/पत्नी श्री.......................